राज्य योजना आयोग
छत्तीसगढ़

"योजना भवन" सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक,
केपिटल काम्पलेक्स, नया रायपुर
(☎ 0771–2511227, 25112223)

क्रमांक 720 / रा.यो.आ. / जि.यो. / 2017 नया रायपुर, दिनांक 03 / 07 / 2017

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़ ।

विषय :– विकेन्द्रीकृत जिला योजना वर्ष 2018-19 तैयार करने हेतु दिशा निर्देश ।

—00—

प्रदेश के समग्र एवं समावेशी विकास के लिए योजना में जन–सामान्य की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रणाली वर्तमान में आवश्यक है। भारत के संविधान के 73 वें एवं 74 वें संविधान, संशोधन के माध्यम से स्थानीय स्व–शासन को संवैधानिक मान्यता देते हुए इन्हें विकेन्द्रीकृत नियोजन अपनाने का विस्तृत आधार प्रदान किया गया है। विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रणाली का उद्देश्य नियोजन प्रकिया में समाज के सभी वर्गों विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, दिव्यांगों की भागीदारी सुनिश्चित कर उनकी आवश्यकताओं का आंकलन कर योजना का निर्माण करना है।

वर्ष 2018–19 के लिए समस्त जिलों द्वारा जिला योजना बनाई जानी है। इस हेतु विकेन्द्रीकृत जिला नियोजन प्रकिया के दिशा–निर्देश संलग्न है। उक्त प्रकिया का पालन करते हुए जिले की विकेन्द्रीकृत जिला योजना प्रस्ताव तैयार किया जाये।

विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रकिया में निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखा जाये :–

1. जिला स्तर पर प्रत्येक विभाग अंतर्गत योजना निर्माण प्रकिया हेतु एक "नोडल अधिकारी" नियुक्ति किया जाये। नोडल अधिकारी समय–समय पर आयोजित प्रशिक्षणों में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं / कार्यकमों इत्यादि की जानकारी उपलब्ध कराना।
2. विकन्द्रीकृत नियोजन प्रकिया प्रारंभ करने से पूर्व प्रत्येक "ग्राम पंचायत / शहरी वार्ड सर्वेक्षण प्रपत्र" के माध्यम से आधारभूत जानकारी एकत्र की जाकर डाटाबेस तैयार किया जाये।
3. प्रत्येक जिले का क्षमतावर्धन कार्यकम अनिवार्यतः राज्य योजना आयोग को प्रेषित कर कियान्वन करें।
4. **विजन 2030** : कार्य योजना–2020, रणनीति योजना – 2024 एवं विजन प्लान – 2030 का निर्माण एवं कियान्वयन योजना सतत् विकास लक्ष्य को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना है।

Credible Chhattisgarh
विश्वसनीय छत्तीसगढ़

5. विकन्द्रीकृत नियोजन प्रकिया के समय समुदाय के साथ **सतत् विकास लक्ष्य (एसडीजी–2030) के अंतर्गत लक्षित 17 उद्देश्यों** से भी अवगत कराया जाये। जिससे कि नियोजन प्रकिया के दौरान समुदाय उक्त लक्ष्यों से अवगत हो सके तथा प्रासंगिक लक्ष्यों से संबंधित मांगों/आवश्यकताओं व गतिविधियों को चिंहाकित कर सके।
6. प्रत्येक जिले की प्रगति के आंकलन/समीक्षा हेतु पैरामीटर्स निर्धारित करना।
7. तैयार की गई योजनाओं का ग्राम सभा/वार्ड सभा द्वारा अनुमोदन अनिवार्यतः कराया जाना सुनिश्चित करें।
8. वर्ष 2017–18 में स्वीकृत किये गये समस्त कार्यों का कियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु साप्ताहिक टीएल बैठक में नियमित समीक्षा करें।

जिला योजना समिति से अनुमोदन प्राप्त जिला कार्य योजना एवं विजन प्लान पर राज्य योजना आयोग द्वारा विभिन्न विभागों से विचार–विमर्श कर आर्थिक संसाधनों के अनुरूप उसे अंतिम रूप दिया जाएगा, तथा उसे राज्य आयोजना के अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया जाएगा ।

अतएव कृपया संलग्न दिशा निर्देशों के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही करते हुए समेकित जिला योजना वर्ष 2018–19 का प्रारूप तैयार कर दिनांक 30 सितम्बर, 2017 तक अनिवार्यतः राज्य योजना आयोग को भिजवाना सुनिश्चित किया जाये।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(अमिताभ पाण्डा)
सदस्य सचिव
राज्य योजना आयोग
छत्तीसगढ़

पृ0क्रमांक 729 /रा.यो.आ./जि.यो./2017 नया रायपुर, दिनांक 03/09/2017.

प्रतिलिपि :–

1. समस्त संभाग आयुक्त, छत्तीसगढ़ की सूचनार्थ।
2. निज सचिव, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़।
3. आयुक्त सह–संचालक, आर्थिक सांख्यिकी संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ एवं जिलों को जन सांख्यिकी एवं सूचकांक संबंधी आंकड़ो की जानकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. समस्त उप संचालक/सहायक संचालक छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं अतिशीघ्र आवश्यक कार्यवाही करते हुए कार्य योजना निर्धारित की गई तिथि में प्रेषित करें।

सदस्य सचिव
राज्य योजना आयोग
छत्तीसगढ़

Credible Chhattisgarh
विश्वसनीय छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ शासन
राज्य योजना आयोग

विषय : **कार्य योजना 2017 से 2020 एवं विकेन्द्रीकृत जिला योजना (Decentralized Planning) वर्ष 2018–2019 बनाने हेतु दिशा–निर्देश।**

स्वतंत्रता के बाद से राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से रोडमैप तैयार गया था। पंचवर्षीय योजनाओं की प्राथमिकताओं से अद्योसंरचना का निर्माण योजनाओं में प्रथम स्थान पर था। यही रखरखाव को आयोजनेत्तर के अंतर्गत रखा गया था। आयोजनेत्तर में अपेक्षाकृत कम राशि का प्रावधान होने के कारण बहुत सी परियोजनाएँ अपने निर्धारित समय–सीमा से पहले रख रखाव के अभाव से पुनः उसे योजना में शामिल करना पड़ा। आयोजना तथा आयोजनेत्तर के बीच भेद समाप्त करने हेतु समस्त केन्द्रीय सचिव तथा राज्यो के मुख्य सचिव को एक विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किया गया। जिसमें 12वीं पंचवर्षीय योजना के अवधि उपरांत आगे विकास का रोड मैप दीर्घ अवधि के योजनाओं के माध्यम से किया योजनाएँ राजस्व एवं पूंजी के रूप में होगी।

विकास के सूचकांको में राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचने तथा सतत् विकास लक्ष्य को प्राप्त करने लिये **छत्तीसगढ़** राज्य को बेहतर विकास की दर हासिल करने की आवश्यकता है। त्वरित एवं समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये विकेन्द्रीकृत जिला योजना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस प्रणाली में योजनायें ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामसभा स्तर एवं शहरी क्षेत्रों में मोहल्ला/वार्ड समिति स्तर पर तैयार की जाती हैं। इन योजनाओं में कार्यों का चयन स्थानीय नागरिकों की भागीदारी से किया जाता हैं एवं ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत एवं नगरीय निकाय स्तर पर समेकन किया जाता हैं। जिला एवं जनपद स्तरीय स्थानीय निकाय विगत वर्ष की तरह अपने स्तर पर जिलों में संचालित होने वाले कार्यक्रमों की योजनाओं में नागरिकों द्वारा प्रस्तावित कार्यों का विश्लेषण कर उभर कर आई आवश्यकताओं/प्राथमिकताओं को ध्यान में रख नियोजन करेंगे। जिला योजना समिति, ग्रामीण एवं नगरीय निकायों द्वारा प्रस्तुत योजनाओं को समेकित कर जिला योजना को अन्तिम रूप देगी।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा सहास्त्राब्दि विकास लक्ष्य 2015 के समाप्त उपरांत इसे विस्तारित करते हुए सतत् विकास लक्ष्य 2030 को स्थापित किया है, जिसमें 17 गोल्स तथा 169 लक्ष्य समस्त विश्व के लिए निर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर सतत् विकास लक्ष्य को कियान्वित तथा निगरानी की जिम्मेदारी नीति आयोग, भारत सरकार को सौंपा गया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. अरविंद पानगड़िया द्वारा समस्त राज्यों के मुख्यमंत्रीयों का पत्र लिखा गया था। जिसमें समस्त राज्यों से ''सतत् विकास लक्ष्य 2030'' में निर्धारित लक्ष्यों

को प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे। इस कार्य योजना में 15 वर्षों का विजन, 07 वर्षों की रणनीति तथा 3 वर्षों की कार्य योजना प्रस्तुत करना है।

सभी कार्यक्रमों में अर्न्तक्षेत्रीय (Inter-Sectoral) सहयोग से लक्ष्य प्राप्त करने का प्रावधान हैं। वर्तमान में सभी कार्यक्रमों की योजनायें अलग–अलग लागू करने वाले विभागों द्वारा बनवायी जा रही हैं। एकीकृत रूप से विकेन्द्रीकृत जिला योजना तैयार करने के लिये संस्थागत व्यवस्था एवं क्षमता वृद्धि करके जिलों की योजना तैयार करने से न केवल समय एवं संसाधनों की बचत होगी बल्कि कार्यक्रमों के मध्य समन्वय/कनवर्जेंस (Convergence) भी सुनिश्चित हो सकेगा। महत्वपूर्ण विभागों एवं कार्यक्रमों के बीच समन्वय एवं सहभागिता दृष्टिगत रखते हुए आपके जिलों में संचालित समस्त कार्यक्रमों की ''समेकित जिला योजना '' बनाई जायेंगी।

समेकित विकेन्द्रीकृत योजना को आच्छादित करने वाला ढांचा

- योजना और जिला दृष्टि (District Vision) का उद्देश्य होगा कि जिले में अच्छे अभिशासन में बढ़ोतरी हो और साथ ही सरकारी सेवाएं भी सकारात्मक ढंग से सक्रिय हों।
- इस योजना पर नागरिकों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, जिले के अधिकारियों और कर्मचारियों का स्वामित्व होगा और यह सहभागिता तथा व्यापक परामर्श के जरिये तैयार किया जायेगा ताकि जिला योजना समिति द्वारा तय की गयी जिला दृष्टि पूरी हो सके।
- योजना नतीजे (Outcome) पर केन्द्रित होगी और राष्ट्रीय तथा विकास के लक्ष्यों को उपलब्ध करने का प्रयास करेगी जो समयबद्ध तरीके से मानव विकास को बढ़ावा दें।
- योजना विभागीय गतिविधियों का कनवर्जेन्स (Convergence) करके तैयार की जायेगी ताकि वह जिला योजना समिति के द्वारा तय की गयी जिला दृष्टि के अनुरूप बन सके।
- योजना जिले की महिलाओं, बच्चों, वंचित वर्गो आदि की खास जरूरतों का ध्यान रखते हुए बनायी जायेगी।
- योजना ऐसी बनायी जाएगी जो जिले के भीतर के विभिन्न इलाकों की भिन्न स्थितियों का भी ख्याल रखे।
- नतीजों और जिला दृष्टि हासिल करने के लिये योजना में शहरी–ग्रामीण सम्बन्धों का निर्माण करने पर समुचित ध्यान दिया जायेगा।

नतीजा केन्द्रित नियोजन (Outcome Focused Planning)

यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जिला दृष्टि और योजनाएं इस प्रकार तैयार की जायें कि वे नतीजे हासिल कर सकें। ये नतीजे ऐसे राष्ट्रीय या विकासात्मक लक्ष्य हो सकते हैं जो मानव विकास को बढ़ावा देते हैं। यह हो सकता है कि जिले ऐसे नतीजे अपना सकते हैं जो मिलेजुले हों। उदाहरणार्थ नीचे कुछ संभव नतीजे दिये गये हैं जिन्हें अपनाया जा सकता है। जिले इन्हें अपनाने के लिये स्वतंत्र हैं तथा वे अपने खुद के नतीजे भी विकसित कर सकते हैं –

- भारत/राज्य में पहला गरीबी मुक्त (बीपीएल कार्ड मुक्त) जिला (आजीविका, कौशल विकास और उद्योगों को बढ़ावा देने वाली योजनाओं से लाभ प्राप्त होने पर)
- जिले में हर घर के लिये टिकाऊ जल सुरक्षा (राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम और जे एन राष्ट्रीय शहरी पुनर्नवीनीकरण मिशन के जरिये)
- 0–6 वर्ष के बच्चों में कुपोषण और शिशु मृत्युदर में पर्याप्त अनुपात में कमी (राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, समेकित बाल विकास सेवाओं और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में समन्वय/ कनवर्जेन्स करके)
- खुले में शौच से मुक्त जिला (समग्र स्वच्छता अभियान और राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता कार्यक्रम में समन्वय/कनवर्जेन्स करके)
- सभी के लिये आवास (इन्दिरा आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना में समन्वय)

ये नतीजे पूरे जिले के लिये हो सकते हैं और इनमें शहरी और ग्रामीण दोनों इलाके सम्मिलित हो सकते हैं।

विकेन्द्रीकृत नियोजन हेतु संस्थागत सरंचना एवं भूमिका

प्रदेश में विकेन्द्रीकृत जिला योजना निर्माण की प्रक्रिया को संचालित करने के लिये निम्नानुसार व्यवस्था की गई है। :–

राज्य योजना आयोग:

जिलों को ''समेकित जिला नियोजन'', मैन्युअल, सॉफ्टवेयर की तकनीकी सहायता एवं आवश्यक संसाधन राज्य योजना आयोग द्वारा उपलब्ध कराये जायेगें। राज्य योजना आयोग नीचे लिखी गतिविधियों के लिये उत्तरदायी रहेगा :

- राज्य में जिले की योजना बनाने की पूरी प्रक्रिया का समन्वय
- संसाधन का आकार तय किया जाना

- जिलों में उपयोग किये जाने के लिये मानक उन्मुखीकरण, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण सामग्री का विकास
- जिलों में उपयोग किये जाने के लिये मानक प्रतिमानों, दिशानिर्देशों और नियमावलियों का विकास
- नियोजन प्रक्रिया पर विहंगम दृष्टि
- डाटा प्रविष्टी एवं रिस्पोंस प्लान हेतु बहुआयामी सॉफ्टवेयर/वेबसाइट की व्यवस्था

राज्य के सरकारी विभाग:

राज्य में जिले की योजना बनाने की प्रक्रिया की सफलता को सुनिश्चित करने में सरकारी विभागों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसी अपेक्षा की जाती है कि सरकारी विभाग अपने नियोजन अधिकारियों को उन्मुखीकरण सत्रों में शामिल होने के लिये भेजेंगे और जिले के अपने कर्मचारियों को निर्देश देंगे कि वे प्रक्रिया में भाग लें ताकि एक ऐसी समग्र और समेकित जिला योजना तैयार की जा सके जिसमें उनके द्वारा कार्यान्वित की जा रही सभी केन्द्रीय और राज्य के द्वारा चलायी जा रही योजनाएं आ जायें।

जिला योजना समिति:

विगत वर्ष की तरह जिला स्तर पर शहरी एवं ग्रामीण निकायों के मध्य संसाधनों का आवंटन कर क्षेत्रकवार उप समितियाँ बनायी जायेंगी। जिले में विकेन्द्रीकृत नियोजन की प्रक्रिया को जिला योजना समिति संचालित करेगी। नियोजन की प्रक्रिया के दौरान जिले में सेक्टर बनाकर जिला/जनपद स्तरीय अधिकारियों के माध्यम से पर्यवेक्षण कराया जावेगा। ग्रामीण एवं नगरीय निकायों से प्राप्त योजना प्रस्तावों का समेकन करके जिला योजना को अंतिम रूप देगी। जिला योजना का अनुमोदन करके राज्य योजना आयोग को स्वीकृति हेतु प्रेषित करेगी। कार्यपालन समिति समस्त कार्यों को समय पर पूरा कराना सुनिश्चित करेगी।

ग्रामीण क्षेत्र:

जिला पंचायत:– ग्रामीण क्षेत्र में नियोजन की प्रक्रिया को संचालित करने के लिये ''**जिला स्तरीय नियोजन दल**'' (RPG) का गठन किया जायेगा। जिला पंचायत विभिन्न योजनांतर्गत विकेन्द्रीकृत जिला योजना बनाने के लिये उपलब्ध संसाधनों के मध्य समन्वय करेंगे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिले के ग्रामीण क्षेत्र की योजना बनाने के कार्य को उचित सहयोग प्रदान करेगें। जिला स्तरीय नियोजन दल, जनपद स्तरीय नियोजन दल को आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध करायेगा तथा जनपद स्तरीय योजनाओं को समेकन करके जिला योजना समिति को प्रस्तुत करेगा।

जनपद पंचायतः– मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के नेतृत्व में **''जनपद स्तरीय नियोजन दल''** (BPG) का गठन किया जावेगा। इसी दल में से प्रशिक्षण प्रदान करने में दक्ष 4–5 सदस्य जिला स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे तथा ग्राम पंचायत स्तरीय ''तकनीकी सहायता दल'' को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। ग्राम स्तरीय नियोजन प्रक्रिया के दौरान पर्यवेक्षण रखेगें एवं समय पर कार्यवाही पूरा कराना सुनिश्चित करेंगे इसके साथ ही पंचायतों की योजनायें प्राप्त कर डाटा एन्ट्री की व्यवस्था करेगी एवं समेकन कर जनपद पंचायत से अनुमोदन करावेंगे।

ग्राम पंचायतः– ग्राम पंचायतों का मुख्य कार्य ग्राम सभा स्तरीय नियोजन के लिये आवश्यक वातावरण निर्माण एवं ग्राम सभाओं से प्राप्त योजनाओं का समेकन करना हैं। ग्राम पंचायतों को नियोजन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी सहायता, मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण के लिये तालिका में दिये अनुसार ''तकनीकी सहायता दल'' (Technical Support Group) का गठन किया जावेगा। दल में प्रत्येक क्षेत्रक का यथासंभव एक प्रतिनिधि रखा जावेगा। इस प्रकार प्रत्येक दल में 4 से 6 सदस्य हो सकते हैं। एक दल 2 से 3 ग्राम पंचायतों के समूह (Cluster) को सहायता उपलब्ध करायेगा। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार पंचायतों की संख्या कम या अधिक की जा सकती है। तकनीकी सहायता दल में स्थानीय स्तर पर सक्रिय स्वयंसेवी, कार्यकर्ताओं आदि को भी शामिल किया जा सकता है।

तकनीकी सहायता दल ग्राम सभा स्तर पर पंचायत पदाधिकारियों के सहयोग से नियोजन की प्रक्रिया को प्रारंभ करायेंगे। ग्राम स्तरीय नियोजन दल को नियोजन की प्रक्रिया एवं विभिन्न क्षेत्रकों के कार्यक्रमों के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायेंगे ताकि ग्राम सभा योजना तैयार कर सके। ग्राम सभा से तैयार होने वाले योजना प्रारूप को उपलब्ध करायेंगे एवं अनुमोदित योजना ग्राम पंचायत स्तर पर पहुंचवाना सुनिश्चित करेंगे।

तालिका–1

क.	क्षेत्रक का नाम	संबंधित विभाग	नियाजन सहयोग दल प्रभारी
1.	**2.**	**3.**	**4.**
1.	शिक्षा	स्कूल शिक्षा, औपचारिक शिक्षा एवं व्यवसायिक शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान।	स्कूलशिक्षा विभाग
2.	स्वास्थ्य	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, महिला एवं बाल विकास ।	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
3.	पोषण	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, एकीकृत बाल विकास योजना (आंगनबाड़ी) मध्यान्ह भोजन, खाद्यान्न सुरक्षा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली।	महिला एवं बाल विकास विभाग

क्र.	क्षेत्रक का नाम	संबंधित विभाग	नियाजन सहयोग दल प्रभारी
4.	आजीविका	कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन एवं डेयरी, मत्स्य पालन, सहकारिता, वन, ग्रामोद्योग, हाथकरघा, हस्तशिल्प, खादी ग्रामोद्योग, रेशम, पंचायत एवं ग्रामीण विकास	पंचायत एवं ग्रामीण विकास
5.	अधोसंरचना प्रबंध	लोक निर्माण, ग्रामीण विकास, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जल संसाधन, आयाकट।	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
6.	उर्जा प्रबंधन	उर्जा, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल, क्रेडा, बायोफ्यूल प्राधिकरण, वन ।	उर्जा विभाग
7.	नागरिक अधिकार सरंक्षण एवं सशक्तिकरण	भू–सुधार, राजस्व, विधिक विभाग, श्रम, महिला एवं बाल विकास, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग ।	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विकास विभाग

ग्राम सभा:– ग्राम सभा स्तर पर नियोजन की कार्यवाही ''ग्राम विकास समिति '' द्वारा संचालित की जायेगी। यदि किसी ग्राम सभा के लिये ग्राम विकास समिति सक्रिय नहीं है तो व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अस्थाई समिति के रूप में ''ग्राम स्तरीय नियोजन समिति'' का गठन कर नियोजन प्रक्रिया का संचालन कर सकती है। ग्राम स्तरीय समुदाय आधारित संस्थाओं (NGOs/CBOs) जैसे स्वयं सहायता समूह, पालक शिक्षक संघ, वन समिति इत्यादि जो ग्राम सभा के अंतर्गत हैं को भी नियोजन हेतु विचार विमर्श में सम्मलित किया जाना चाहिये। साथ ही ग्राम स्तर पर कार्यरत शासकीय एवं गैर–शासकीय कार्यकर्ताओं जैसे शिक्षक, वन रक्षक, पटवारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा एवं अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी नियोजन में सम्मलित किया जाना चाहिये।

ग्रामीण विकेन्द्रीकृत नियोजन संरचनात्मक रेखाचित्र

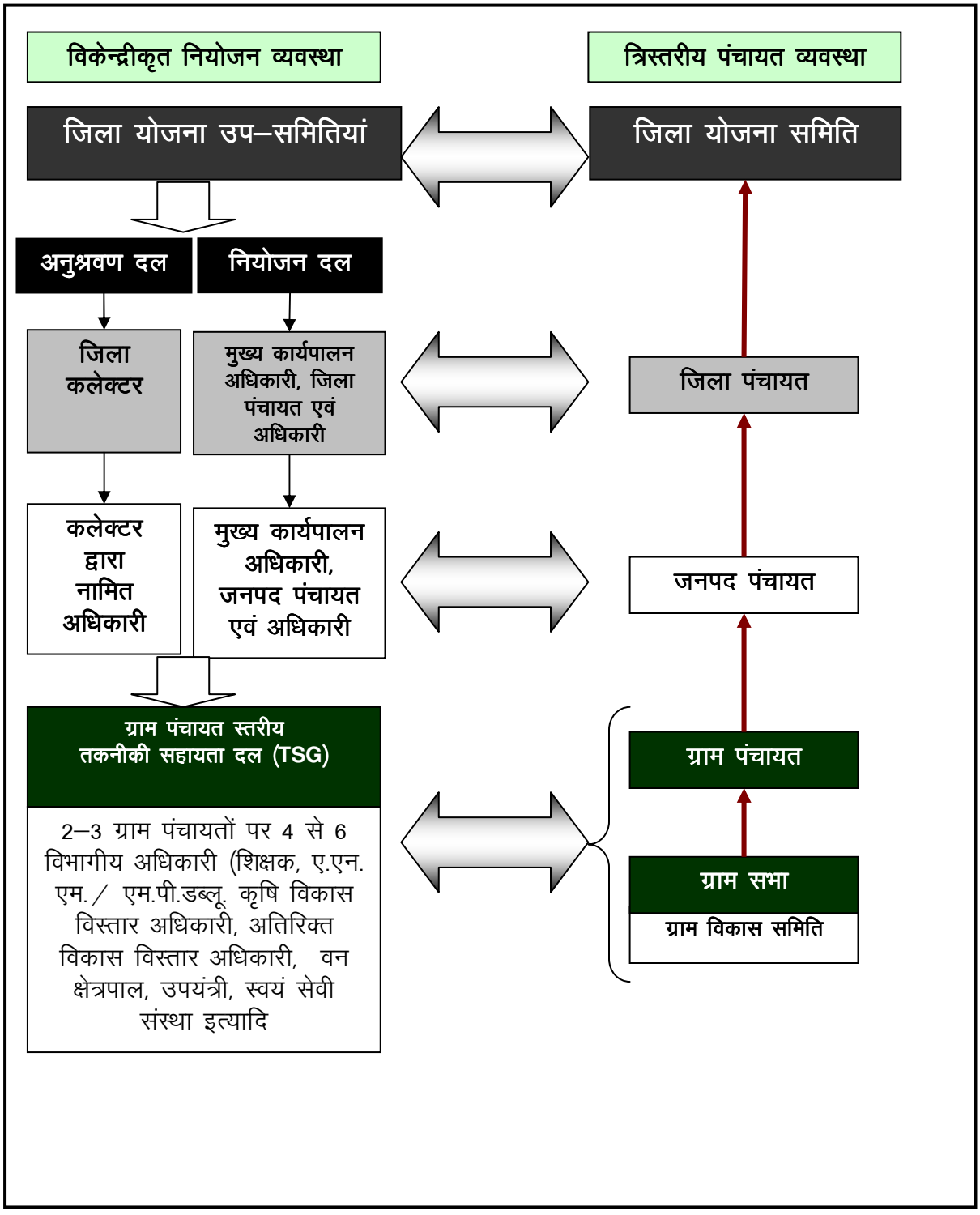

शहरी क्षेत्र:

जिला स्तरीय शहरी नियोजन दल :–

शहरी क्षेत्रों को तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिये जिला स्तरीय शहरी नियोजन दल (UPG) बनाया जायेगा जिसके संचालन में जिला शहरी विकास अभिकरण (DUDA) की मुख्य भूमिका होगी । नगरीय क्षेत्रों में संचालित विभिन्न सेवाओं एवं अधोसंरचनात्मक कार्यों के संचालन करने वाले विभागीय अधिकारीयों एवं स्वंयसेवी संस्थाओं को सम्मिलित करके दल का गठन किया जायेगा। निकायों की योजनायें जिला योजना समिति को प्रेषित कराना सुनिश्चित करेंगे।

नगरीय निकाय स्तरीय नियोजन दल :–

प्रत्येक नगरीय निकाय में नियोजन की प्रक्रिया को संचालित करने के लिये नियोजन दल (BPG) का गठन किया जावेगा जिसमें नगरीय क्षेत्र के विकास कार्यों से जुड़े हुये विभागों के अधिकारीयों को सम्मिलित किया जावेगा। स्थानीय स्तर पर सक्रिय स्वंयसेवी संस्थाओं को भी सम्मिलित किया जाना चाहिये। यह दल निकाय स्तर पर वार्ड स्तरीय तकनीकी सहायता दल को प्रशिक्षण एवं सहायता उपलब्ध करायेगा। वार्ड स्तरीय योजनाओं का समेकन करके नगरीय निकाय को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेंगे।

नगरीय वार्ड स्तरीय तकनीकी सहायता दल (TSG) :–

2 से 3 वार्डो पर संचालन, तकनीकी मार्गदर्शन एवं नियोजन की कार्यवाही को पूर्ण कराने के लिये स्थानीय अधिकारियों/स्वयंसेवी/सामाजिक कार्यकर्ता का तकनीकी सहायता दल गठित किया जायेगा। यह दल मोहल्ला स्तरीय समितियों के साथ समन्वय कर नियोजन की प्रक्रिया को पूर्ण करायेंगे एवं इन योजनाओं को समेकन करके वार्ड स्तरीय योजना तैयार कराना सुनिश्चित करेंगे।

शहरी विकेन्द्रीकृत नियोजन संरचनात्मक रेखाचित्र

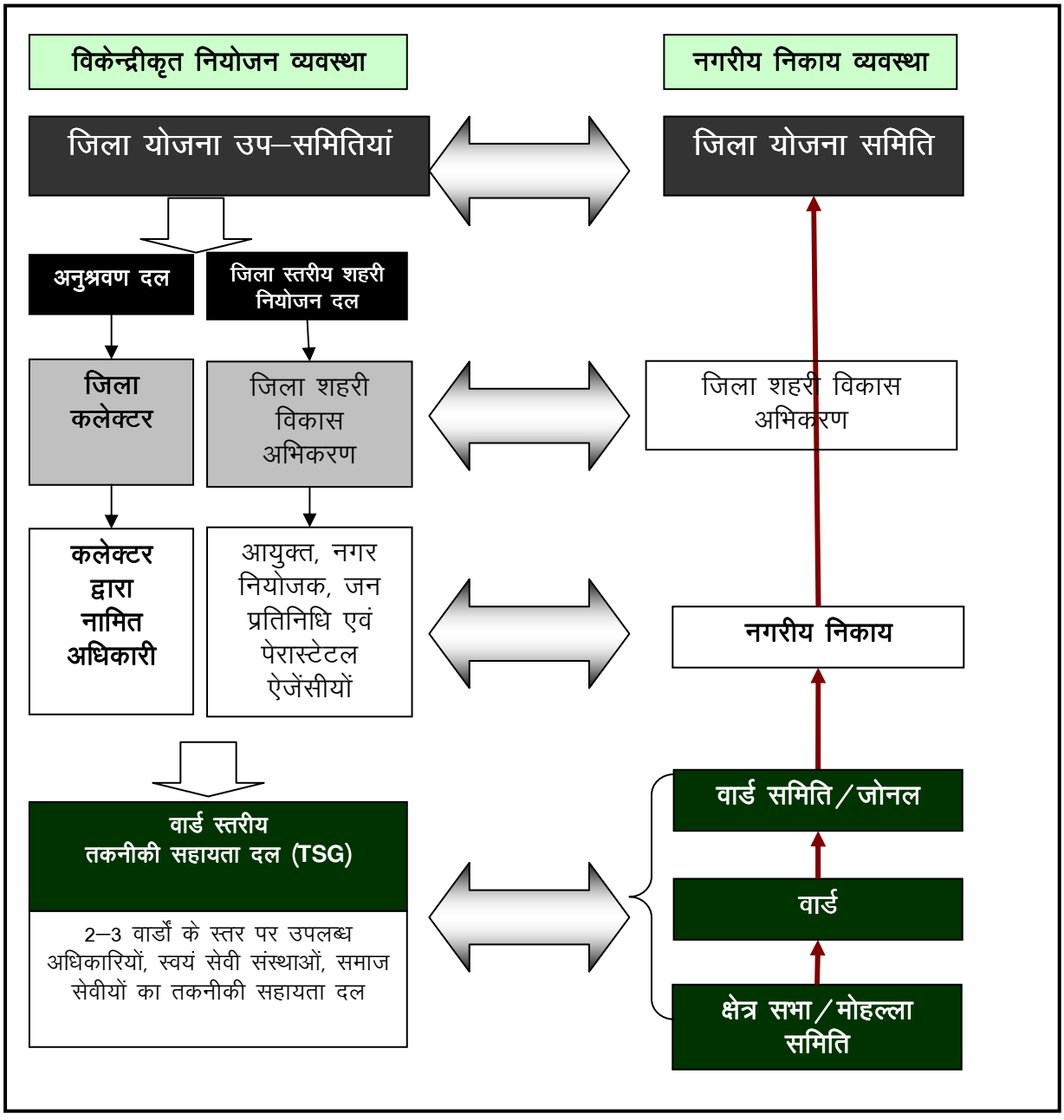

सतत् विकास लक्ष्य – 2030

मार्च 2017 में 12 वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त होने के पश्चात राज्य का 03 वर्ष हेतु **कार्य योजना – 2020**, 07 वर्षो का **रणनीति प्लान– 2024** तथा 15 वर्षों का **विजन प्लान–2030** सतत् विकास लक्ष्य को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना है। अतः उक्त के संबंध में समुदाय के साथ चर्चा किया जाना प्रस्तावित है। जिससे कि समुदाय शासन की मंशा से अवगत हो सके तथा सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से विकास कार्यों हेतु योजना तैयार करने तथा उनका क्रियान्वयन करने में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकें।

सतत् विकास लक्ष्य (एसडीजी)– 2030 तक, गरीबी के सभी आयामों को समाप्त करने के लिए एक साहसिक और सार्वभौमिक समझौता है जिसका उद्देश्य सबके लिए (व्यक्तियों, पृथ्वी एवं समृद्धि के लिए) एक समान, न्यायपूर्ण और सुरक्षित विश्व का निर्माण करना है। इसके तहत् 17 एसडीजी और 169 लक्ष्य निर्धारित किये गये है। भारत सरकार द्वारा उक्त समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं। अर्थात् सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रयास किये जायेंगे। विकेन्द्रीकृत जिला योजना के निर्धारित सात क्षेत्रक में सतत् विकास लक्ष्य का समायोजन निम्नानुसार है :–

क्र.	क्षेत्रक का नाम	संबंधित विभाग	सतत् विकास लक्ष्य व क्रमांक
1.	**2.**	**3.**	**4.**
1.	शिक्षा	स्कूल शिक्षा, औपचारिक शिक्षा एवं व्यवसायिक शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान।	सर्वोत्तम शिक्षा – 4 लैंगिक समानता – 5 असमानतायें कम करना – 10
2.	स्वास्थ्य	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, महिला एवं बाल विकास ।	उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली – 3 स्वच्छ जल और साफ–सफाई – 6 भूखमरी से मुक्ति –2 उत्तरदायित्वपूर्ण खपत और उत्पादन – 12
3.	पोषण	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, एकीकृत बाल विकास योजना (आंगनबाड़ी) मध्यान्ह भोजन, खाद्यान्न सुरक्षा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली।	
4.	आजीविका	कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन एवं डेयरी, मत्स्य पालन, सहकारिता, वन, ग्रामोद्योग, हाथकरघा, हस्तशिल्प, खादी ग्रामोद्योग, रेशम, पंचायत एवं ग्रामीण विकास	गरीबी उन्मूलन – 1 उत्कृष्ट श्रम और आर्थिक विकास –8 उद्योग, नवाचार एवं बुनियादी सुविधाऍं – 9 जलीय जीवों की सुरक्षा – 14 थलीय जीवों की सुरक्षा– 15

क्र.	क्षेत्रक का नाम	संबंधित विभाग	सतत् विकास लक्ष्य व क्रमांक
5.	अधोसंरचना प्रबंध	लोक निर्माण, ग्रामीण विकास, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जल संसाधन, आयाकट।	असमानतायें कम करना – 10 गरीबी उन्मूलन – 1 उत्कृष्ट श्रम और आर्थिक विकास –8 उद्योग, नवाचार एवं बुनियादी सुविधाएँ – 9
6.	उर्जा प्रबंधन	उर्जा, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल, क्रेडा, बायोफ्यूल प्राधिकरण, वन ।	सस्ती और प्रदूषण–मुक्त ऊर्जा – 7
7.	नागरिक अधिकार सरंक्षण एवं सशक्तिकरण	भू–सुधार, राजस्व, विधिक विभाग, श्रम, महिला एवं बाल विकास, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग ।	शांति, न्याय एवं सशक्त संस्थायें – 16 लैंगिक समानता – 5 असमानतायें कम करना – 10

उक्त लक्ष्यों को सामुदायिक सहभागिता के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अतः उक्त सभी लक्ष्यों के विषय में समुदाय को जागरूक करना तथा स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर प्रासंगिक लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संबंधित गतिविधियों को ग्राम पंचायत/वार्ड योजना में में सम्मिलित किया जाये।

विकेन्द्रीकृत योजना बनाने की प्रक्रियाएँ

राज्य स्तर

- जिला योजना समितियों, जिला पंचायत के अध्यक्षों, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत और जिला योजना अधिकारियों के उन्मुखीकरण के बाद समेकित जिला नियोजन प्रक्रिया की शुरूआत राज्य स्तर पर की जायेगी। प्रत्येक संभाग के लिये रायपुर (अथवा संभाग स्तर) में एक उन्मुखीकरण सत्र का अयोजन किया जायेगा। विभागों से अपेक्षा है कि वे नियोजन गतिविधियों के लिये उत्तरदायी अपने अधिकारियों को इनमें शामिल रहने के लिये आदेशित करें।
- राज्य स्तर पर मास्टर प्रशिक्षकों का एक दल स्थापित किया जाएगा। यह दल जिले की योजना बनाने की प्रक्रिया के लिये समुचित उन्मुखीकण और प्रशिक्षण सामग्री तैयार करेगा।

- जिला और उप–जिला स्तर पर प्रशिक्षण और उन्मुखीकरण गतिविधियों के लिये क्षमता निर्मित करने हेतु जिला मास्टर प्रशिक्षकों के लिये उन्मुखीकरण सत्रों का आयोजन किया जाएगा। उन्मुखीकरण सत्र 30 – 40 प्रतिभागियों के दल के लिये आयोजित किये जायेंगे। ये प्रतिभागी एक संभाग के जिलों से लिये जाएंगे। इससे यह सुनिश्चित होगा कि बुनियादी सिद्धान्त, ढांचे और प्रक्रियाएं राज्य भर में संयुक्त रूप से साझा की जाएंगी और स्पष्ट की जाएंगी।
- प्रत्येक जिले के लिये संसाधन तय किये जायेंगे और उनकी सूचना दी जायेगी। इन संसाधनों में राज्य की निधियों, राज्य वित्त आयोग के अधिनिर्णय, प्रत्येक जिले के लिये केन्द्रीय सरकार की निधियां निहित रहेंगी। इन्हें हर नियोजन इकाई के लिये बांटने के लिये दिशानिर्देश भी विकसित किये जायेंगे और उनकी सूचना दी जायेगी। मानक डेटा संग्रह और योजना के प्रतिमान (templates) सभी जिलों के लिये तैयार किये जाएंगे और प्रसारित किये जाएंगे।
- इसी प्रकार जिला योजना के लिये एक प्रतिमान तैयार किया जायेगा और सभी जिलों को प्रसारित किया जायेगा। संदर्श योजना का प्रतिमान विभिन्न विभागों, कार्यक्रमों और येाजनाओं के लिये मौजूदा जिला योजना को समुचित रूप से प्रतिबिम्बित करेगा।
- योजना की प्रक्रिया के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिये राज्य मीडिया में पाक्षिक रूप से विज्ञापन दिये जायेंगे।
- जिला योजना समूहों के प्रतिनिधियों और जिला योजना अधिकारियों के साथ मासिक प्रगति मानीटरिंग (monitoring) बैठकों का आयोजन किया जाएगा।
- जिला योजना की प्रक्रिया पूरी होने पर, पांच **वर्षीय एक्शन प्लान** 2017–2022 एवं विकेन्द्रीकृत जिला योजना (Decentralized Planning) वर्ष 2018–2019 के लिये संदर्शी योजना, राज्य योजना आयोग के अनुमोदन के लिये प्रस्तुत की जाएगी।

जिला स्तर

- समेकित विकेन्द्रीकृत जिला नियोजन प्रक्रिया की अगुआई जिला योजना समिति द्वारा की जायेगी और उसे जिला योजना कार्यालय, जिले के सरकारी विभागों, शासकीय सार्वजनिक सेक्टर के उपक्रमों के जिला कार्यालयों का सहयोग मिलेगा।
- समेकित विकेन्द्रीकृत जिला नियोजन प्रक्रिया का प्रारम्भ, जिला योजना समिति अधिनियम 1995 में बताये अनुसार, विकेन्द्रीकृत जिला नियोजन के मुख्य पहलुओं तथा जिला योजना समिति (DPC) की भूमिका के बारे में जिला योजना समिति के सदस्यों के उन्मुखीकरण के साथ किया जायेगा।

- उसके बाद DPC के सदस्यों के लिये मूल्यांकन और दृष्टिबोध देने वाली कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। मूल्यांकन में निम्नलिखित प्रकार के पहलुओं पर विचार किया जाएगा
    - आजीविकाएं और आय वृद्धि
    - प्राथमिक, माध्यमिक और कौशल निर्माण शिक्षा
    - स्वास्थ्य और पोषण
    - अधोसंरचना
    - पर्यावरण
    - महिलाएं और उनकी स्थिति
    - हाशिये के समुदाय और उनकी स्थिति
    - अन्य

मूल्यांकन की कवायद के बाद जिला योजना समिति जिले के लिये वर्ष 2017–2022 के लिये दृष्टि (vision) तैयार करेगी।

सरकारी विभाग उसके लिये प्रासंगिक डेटा और मौजूदा जिला योजनाएं, जैसे समग्र कृषि विकास योजना, NHM योजना, SSA योजना, MNREGS संदर्शी योजना जैसी जानकारी उपलब्ध कराएंगे।

- जिले की मूल्यांकन और दृष्टि कार्यशाला के बाद जनपद पंचायत, शहरी सथानीय निकायों और ग्राम पंचायतों के सदस्यों के लिये उन्मुखीकरण सत्र होंगे। ये उन्मुखीकरण सत्र 30–30 के दलों में होंगे। उन्मुखीकरण सत्र का उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों को नीचे लिखी बातों की जानकारी देना होगा
- निर्वाचित प्रतिनिधियों से आग्रह किया जायेगा कि वे नियोजन प्रक्रिया में भाग लें और साथ ही नागरिकों को इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिये प्रोत्साहित करें।
- साथ ही साथ, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत और सरकारी विभागों के जिला प्रमुखों के लिये उन्मुखीकरण सत्रों का आयोजन किया जाएगा जिसमें उन्हें नीचे लिखी बातों के बारे में जानकारी दी जायेगी
    - विकेन्द्रीकृत जिला नियोजन
    - मूल्यांकन के विभिन्न संकेतकों की स्थिति
    - जिला दृष्टि (vision)
- तकनीकी सहयोग समूह के गठन के लिये निर्वाचित प्रतिनिधियों, जिला कार्यकर्ताओं, स्नातकोत्तर छात्रों और नागर समाज संगठनों के सदस्यों को चिन्हित / आमंत्रित करेगा।

- नियोजन की प्रक्रिया के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिये DPC स्थानीय मीडिया को विज्ञापन देगा।

जनपद स्तर /नगरीय निकाय स्तर

- जिला नियोजन समूहों DPG, ब्लाक नियोजन समूहों (BPG) का गठन करेगा।
- नियेाजन की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक करने के लिये DPG गतिविधियों की एक मोटा कैलेण्डर विकसित करेगा।
- प्रगति का आकलन करने के लिये DPG हर माह BPG के साथ संवाद करेगा। इन बैठकों के साथ, वह जिले की समग्र प्रगति के बारे में DPC को अवगत करायेगा।
- BPG को 8–10 लोगों के दल का सहयोग मिलेगा जो तकनीकी सहयोग संस्था के अलावा ब्लाक के कर्मचारियों और युवा वालंटियरों में से भी लिये जायेंगे। ये वालंटियर स्थानीय स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालयों से भी लिये जा सकते हैं।
- जिले के सरकारी विभाग इकाईवार (ग्राम या शहर के वार्ड) हितग्राहियों और अधोसंरचना के नियोजन की बेसलाइन तैयार करेंगे। यह 2012–17 की संदर्शी योजना की बेसलाइन होगी। वे नियोजन की उन इकाइयों की सूची की जानकारी भी देंगे जिनमें कार्यक्रम/योजना के मानकों के कारण लाभ और अधोसंरचना के लाभ लागू नहीं होते। नियोजन इकाईवार बेसलाइन BPG को प्रस्तुत की जायेगी।
- BPG सहयोग दल सरकारी विभागों से प्राप्त डेटा का मिलान करेगा ताकि नियोजन इकाईवार बेसलाइन पत्रक तैयार किये जा सकें।
- ग्राम/वार्ड सभा/ ULB द्वारा अनुमोदित योजनाओं की प्राप्ति स्वीकृति को डाक से भेजना, किसी भी बदलाव की समीक्षा की जायेगी और उसका समाधान किया जायेगा। BPG सहयोग दल के द्वारा ब्लाक की एक योजना बनायी जायेगी जो अनुमोदन के लिये DPG को प्रस्तुत की जायेगी। इन योजनाओं के साथ ग्राम/वार्ड सभा/ ULB (जो संवैधानिक रूप से अनुमोदन करने वाली निकाय हैं) की कार्यवाही की एक प्रति संलग्न रहेगी।
- DPG ब्लाक की योजनाओं की समीक्षा करेगा।
- DPC नतीजा समितियां गठित करेगा, जिनमें DPC/ZP उप समितियों के सदस्य और कनवर्जेन्स वाले सरकारी विभागों के जिला प्रमुख होंगे।
- DPC नतीजा समितियों के साथ ब्लाक की योजनाओं पर चर्चा करेंगे। इसके बाद नतीजा समितियों में हुई चर्चा को ध्यान में रखते हुए जिला संदर्शी योजना और वार्षिक योजना 2018–19 का प्रारूप तैयार होगा।

- DPG जिला संदर्शी योजनाओं को स्थानीय चेम्बर आफ कामर्स, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की बड़ी औद्योगिक इकाइयों के साथ साझा करेगा ताकि यह समझा जा सके कि वे योजना के कार्यान्वयन में क्या भूमिका निभाना चाहेंगे।
- DPG, DPC को जिला संदर्शी योजना और वार्षिक योजना प्रस्तुत करेगा। DPC योजना पर टिप्पणी करेगा। DPG इन टिप्पणियों को शामिल करेगा और पुनरीक्षित योजना को DPC को प्रस्तुत करेगा।
- DPC योजना को अनुमोदित करेगी और उसे अनुमोदन के लिये राज्य योजना आयोग को भेज देगी।

कार्य का सम्पादन :– इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए योजना आयोग समन्वयक के साथ–साथ प्रक्रिया में सहयोग करके स्थानीय स्तर पर सुदृढ़ीकरण का कार्य करेगा।

1. सम्पूर्ण प्रक्रिया संबंधित जिलों के जिलाधीश के अधीन होगी एवं सम्पूर्ण प्रक्रिया जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय के माध्यम से सम्पन्न कराई जायेगी।
2. स्थानीय निकाय के अन्दर ग्राम तथा वार्ड के स्तर पर गतिविधियां सम्पन्न किया जाना है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा शहरी क्षेत्र में नगरीय प्रशासन विभाग के द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किया जावेगा।
3. विकासखण्ड तथा जिला स्तर पर जन सांख्यिकी एवं सूचकांक संबंधी आंकड़ों की जानकारी आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के माध्यम से उपलब्ध करायी जावेगी।

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विकेन्द्रीकृत समेकित जिला योजना तैयार किये जाने के संबंध में उपरोक्तानुसार गाईड्लाइन के परिप्रेक्ष्य में तीन वर्षीय **कार्य योजना** वर्ष 2017–2020 एवं विकेन्द्रीकृत जिला योजना (Decentralized Planning) वर्ष 2018–2019 की योजना तैयार किये जाने हेतु जिला कलेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका होगी और जिला कलेक्टरों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अपने मार्गदर्शन में ग्राम सभा/ग्राम पंचायत स्तर/नगरीय वार्ड आदि नियोजन इकाईयों से योजनायें तैयार कराकर विभिन्न स्तरों पर समेकित करते हुए **''समेकित जिला योजना''** प्रारूप तैयार करेंगे और निर्धारित अवधि में पूर्ण करने के उपरान्त राज्य योजना आयोग को प्रेषित करेंगे।

.....

1. गरीबी उन्मूलन
2. भूखमरी से मुक्ति
3. उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली
4. सर्वोत्तम शिक्षा
5. लैंगिक समानता
6. स्वच्छ जल और साफ–सफाई
7. सस्ती और प्रदूषण–मुक्त ऊर्जा
8. उत्कृष्ठ श्रम और आर्थिक विकास
9. उद्योग, नवाचार एवं बुनियादी सुविधायें
10. असमानतायें कम करना
11. सतत् शहर एवं संतुलित समुदाय
12. उत्तरदायित्वपूर्ण खपत और उत्पादन
13. जलवायु परिवर्तन कार्यवाही
14. जलीय जीवों की सुरक्षा
15. थलीय जीवों की सुरक्षा
16. शांति, न्याय एवं सशक्त संस्थायें
17. लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भागीदारी